


छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email :- henv.cg@nic.in
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1/01/2023
क्रमांक एफ 7-29/2021/32 :: छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 73 की उपधारा (1) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी करता है :-

ऐसे निवेश क्षेत्र जिनका वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत किये जाने के सूचना की राजपत्र की प्रति उपलब्ध नहीं है, का वर्तमान परिवृश्य में पुनः छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किया जाकर प्रकाशन किया जावे एवं प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सुनवाई किया जाकर उसको धारा 15 (4) में अंगीकरण किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



31/1/2023
(सी.तिकरी)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ. क्रमांक-एफ 07-29/2021/32
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1/01/2023
02

1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
2. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


31/1/2023
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

आयता क्रमांक102.....
दिनांक 1 FEB 2023

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
दिनांक 1 FEB 2023
आयता क्रमांक